न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह यादव आर0ए0एस0
वाद सं0 14/15
निर्णय दिनांक : 22.01.2019

1. सागरमल पुत्र हीरा
2. गोपाललाल पुत्र हीरा
3. बाबूलाल पुत्र हीरा
   समस्त जाति जाट नि0 डूंगरीकला तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र मांगू
2. बालू उर्फ बालूराम पुत्र रघुनाथ
3. आंचीदेवी पत्नि जयराम
4. गोरू पुत्र शोभा– फौत जरिये कायम मुकामान
   4/1 भगवानसहाय पुत्र स्व0 गोरू
   4/2 प्रभातीलाल पुत्र स्व0 गोरू
   4/3 चुन्नीलाल पुत्र स्व0 गोरू
   4/4 लालचन्द पुत्र स्व0 गोरू
   4/5 किशोरसिंह पुत्र स्व0 गोरू
   समस्त जाति जाट नि0 डूंगरीकला तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 251 क

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने यह प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 505/2 रकबा 15 विस्वा वाकै ग्राम डूंगरीकला तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है उक्त भूमि में जाने आने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण ने यह प्रा0पत्र खं0नं0 508/3 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 505/1 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा में से ए से बी पश्चिम से पूरब की तरफ 18 फुट चौड़ा व करीब 380 फुट लम्बा रास्ता राजस्व रिकोर्ड में अंकित करने हेतु पेश किया है प्रा0पत्र के साथ चाहे गये रास्तें को लाल रंग से डोटेड लाईन द्वारा नक्शें में दर्शित किया है प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आवागमन करने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 3 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं0 4 के वारिसान बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व इकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 का पेश किया जो स्वीकार किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्तें बाबत् मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। बहस पक्षकारान वकील सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजी में आवागमन करने हेतु कोई रास्ता मौके पर व राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण अपनी आराजी पर खं0नं0 508/3 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 505/1 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा में से ए से बी पश्चिम से पूरब की तरफ 18 फुट चौड़ा व करीब 380 फीट लम्बा रास्ता राजस्व रिकोर्ड में रास्ता अंकित किया जावें। उक्त रास्तें में जाने वाली भूमि का शुल्क नियमानुसार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण अदा करने को तैयार है पत्रावली व तहसीलदार से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर
प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से
आवागमन करने हेतु कोई रास्ता नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रा0पत्र दिनांक
16.07.15 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कि0रेनवाल को आदेश दिया गया था
कि प्रार्थीगण के ख0नं0 505/2 रकबा 15 बिस्वा वाकै ग्राम डूंगरीकला तह0 कि0रेनवाल
जिला जयपुर राज0 में आने जाने हेतु ख0नं0 508/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0
505/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा में से ए से बी पश्चिम से पूरब की तरफ 10 फुट चौड़ा
रास्ता प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तथा ख0नं0 508/3 में से जो रास्ते
में आराजी गयी है उकी कुल राशि 26,904 रू0 एवं ख0नं0 505/1 में से रास्ते हेतु जो
आराजी दी है उसकी कुल राशि 16,694 रू0 उक्त ख0नं0 के खातेदारान को उनके
हिस्सेनुसार अदा किये जाकर राजस्व रिकोर्ड में रास्ता कायम किये जाने के आदेश
प्रदान किये गये थे।
प्रा0पत्र आर्डर 9 रूल 13 जा0दी0 का स्वीकार होने से उक्त प्रा0पत्र पुन: दर्ज
रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 4/2, 4/4, 4/5 की तरफ से जवाब पेश किया
गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं0 4/2, 4/4 व 4/5 की ओर से
प्रा0पत्र 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि मान्य न्यायालय के आदेश दिनांक
07.01.16 की अनुपालना में जमाबन्दी में उक्त आदेश का नोट व आदेश दिनांक 16.07.
15 निरस्त किये जाने का नोट अंकित कर जमाबन्दी में रास्ते का कया गया अमल व
नक्शे में की गयी तरमीम निरस्त करें तथा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं0
4/2, 4/4, 4/5 द्वारा सुझाये गये रास्तें के बारे में पुन: अप्रार्थी सं0 4/2, 4/4,
4/5 की उपस्थिति में सही मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की कृपा करे।
दिनांक 16.08.18 को न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में बहस सुनी जा रही थी
कि दौराने बहस प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता किस मुख्य रास्तें से जुड़ता है के बाबत
रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है एंव प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध या अथवा नहीं यदि है
तो छोटा रास्ता प्रस्तावित कर तहसीलदार कि0रेनवाल से रिपोर्ट तलब करने का आदेश
पारित किया गया जिसकी पालना में तहरीर क्रंमाक 1141 दिनांक 24.8.18 जारी की
गयी जिसके अनुसरण में तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट
प्रस्तुत की है उसके अनुसार ग्राम डूंगरीकला के आराजी ख0नं0 505/2 रकबा 15
बिस्वा के मौके पर रास्तें की जांच करने के दौरान ज्ञात हुआ कि ख0नं0 500 की उत्तरी
सीमा तक रास्ता चालू है उक्त रास्तें से हम सागरमल को रास्तें देने को तैयार है
जिसकी दूरी 380 फुट है उक्त रास्ता कम दूरी का है तथा ख0नं0 497 की आबादी से
498/2 की दक्षिणी सीमा पर होता होता हुआ ख0नं0 509/2 से दक्षिणी पूर्वी सीमा से
ख0नं0 508/3 की उत्तरी मेड़ व ख0नं0 505/1 की उत्तरी मेड़ से अप्रार्थीगण की
1/4 भूमि जाती है ख0नं0 497 व 509/2 की भूमि जो रास्तें में गयी हुयी है इस बाबत
फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर रिपोर्ट क्रंमाक 5619 दिनांक 23.10.18 के साथ प्रस्तुत की है
उक्त रिपोर्ट में ख0नं0 505/2 में पहुचनें के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना तथा
उक्त ख0नं0 पर पहुचनें हेतु प्रार्थी द्वारा ख0नं0 505/1 व 508/3 में से चाहा गया है
जो संलग्न नजरी नक्शें में सिवाय चंक रास्ता है तथा ए से बी स्थान तक आबादी भूमि
में रास्ता चालू है व बी से सी स्थान तक भी रास्ता चालू है जो शामलाती खाते में
गै0मु0 रास्तें के रूप में दर्ज है इस रास्तें के अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प के रूप
नहीं सुझाया है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।
वकील प्रार्थी का तर्क है कि न्यायालय ने पूर्व में निर्णय दिनांक 16.07.15 के द्वारा जो
रास्ता स्वीकृत किया गया है व पूर्णतया सही है तथा उसी अनुरूप रास्ता स्वीकृत किया
जाना न्यायसंगत है उक्त रास्तें का अप्रार्थीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया
है तथा पूर्व में प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट के अलावा कोई नयी रिपोर्ट नया रास्ता
अंकित करते हुए यह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुयी है तथा अप्रार्थीगण ने भी पूर्व
में निर्णित रास्तें के विकल्प में कोई रास्ता नहीं सुझाया है अत: प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार
कर निर्णय दिनांक 16.07.15 के अनुसरण में स्वीकृत रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु
उपलब्ध करवाकर राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज करवाया जावें। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने
बहस का खण्डन करते हुए अपने जवाब प्रा0पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए
बहस की कि प्रार्थीगण ने तथ्य छिपाकर गलत तथ्यों पर प्रा0पत्र पेश किया है पूर्व में
बहामी फैसला दिनांक 17.12.08 के अनुसार ख0नं0 502 के दक्षिणी कोने से दक्षिणी

उप खण्ड अधि...
सांभर ...

Scanned by CamScanner

सीमा में खं0नं0 509 की पूर्वी दिशा में खं0नं0 508/3 में से जाना तैय किया था जिसको नक्शें में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है अप्रार्थीगण पारस्परिक समझौते के अनुसार रास्तें की भूमि के बदले रूपयें न लेकर जो जमीन पहलें दी गयी वो लेने को तैयार है तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2014 पार्ट 1 पेज सं0 40 उमाराम बनाम बृजलाल पेश किया।

हमने बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल ने यह निर्णित किया है कि नया रास्ता उत्पन्न करने हेतु प्रार्थी ने प्रा0पत्र पेश किया धारा 251 ए के तहत नया रास्ता केवल तब बनाया जा सकता है जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो आवश्यकता आत्यन्तिक होनी चाहिए केवल सुविधा आवश्यक नहीं है। इस अनुसरण में पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा प्रस्तुत रास्तें के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट क्रमांक 462 दिनांक 13.05.15 का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार कि0रेनवाल ने मौके स्थिति का स्पष्ट अंकन करते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की है जिसके अनुसरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.15 को प्रकरण का निस्तारण कर प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया। जिसके पश्चात् अप्रार्थी सं0 4/2, 4/4 व 4/5 ने उक्त निर्णय का अपास्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिसके स्वीकृत किये जाने पर उक्त अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत किया व मौके की सही स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जाने का निवेदन किया जिस पर न्यायालय ने दिनांक 16.08.18 के आदेश द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा पत्र क्रमांक एल0आर0/2018/5619 दिनांक 23.10.18 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका उल्लेख किया जाना हम उचित समझते है "उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के सदंर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में ग्राम डूंगरीकला के आराजी खं0नं0 505/2 रकबा 0.15 बीघा में पहुचने के लिए पूर्व में प्रस्तावित रास्तें बाबत् पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर पहुंच कर उपस्थित वादीव प्रतिवादी से पूछताछ की गयी। फर्द मौके की संलग्न है आराजी खं0नं0 505/2 में पहुचनें के लिए वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता नहीं है उक्त खं0नं0 पर पहुचनें हेतु वादी द्वारा खं0नं0 505/1 व 508/3 में चाहा गया है जो संलग्न नजरी नक्शें में सिंवायचंक रास्ता है। ए से बी स्थान तक आबादी भूमि में रास्ता चालू है बी से सी स्थान तक भी रास्ता चालू है जो शामलाती खाते में गै0मु0 रास्तें के रूप में दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी नकल संलग्न है पूर्व में नामान्तकरण सं0 1427 दिनांक 14.08.15 को डिक्री आदेश द्वारा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज सिंवाय चंक रास्तें के अलावा वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है।" तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्तें के अलावा कोई मौजूदा वैकल्पिक रास्ता नहीं है ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। जहा तक अधिवक्ता अप्रार्थी के पारस्परिक समझौते के तर्क का प्रश्न है अधिवक्ता अप्रार्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे तहसीलदार कि0रेनवाल की उक्त रिपोर्ट का खण्डन होता हो तथा पारस्परिक समझौता भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जाये कि ऐसा कोई समझौता पक्षकारों के मध्य हुआ हो ऐसी कोई साक्ष्य व शपथ पत्र भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का खण्डन किया गया है ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में उठायी गयी आपतियों को सिद्व नहीं किया है इसके विपरित प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी तहसीलदार कि0रेनवाल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर उसको प्रमाणित किया है तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.18 की पालना में प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट से भी प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रस्तावित रास्तें की पुष्टि होती है तथा उक्त रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया यह भी सिद्व है कि उक्त रास्तें के

उप खण्ड अ...
साँभर ...

Scanned by CamScanner

अलावा वैकल्पिक कोई अन्य रास्ता नहीं है तथा आवागमन की दृष्टि से सुविधायुक्त है फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.08.18 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अन्य खातेदारों के नाम जो प्रस्तावित रास्तें में भूमि आ रही थी उन्होनें न्यायालय के पूर्व में पारित निर्णय की अनुपालना में जमा करवायी गयी राशि में से 1/3 का भुगतान भी प्राप्त कर लिया है ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित है कि उक्त आराजी के प्रस्तावित रास्तें को स्वीकृत किये जाने में जिन खातेदारों ने राशि का भुगतान प्राप्त किया है वह भी रास्ता स्वीकृत किये जाने में सहमत है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में उठायी गयी आपतियों को पूर्णतया सिद्व नहीं किया है तथा प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार कि0रेनवाल की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया सिद्व किया है जिसके अनुसरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16.07.15 की पुष्टि करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 16.07.15 में पारित आदेश के अनुसार रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में टंकण करवाया जाकर बाद हस्ताक्षरों के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner